XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 936–पीबीआर/15 जिला – ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत 6–17 सी.पी.सी. के आवेदन (जिसमें उनके द्वारा मृतक बृजलाल के वारिसों को रिकार्ड पर लिए जाने का अनुरोध किया गया था) को स्वीकार कर संशोधित अनावेदकों को तलब किए जाने के आदेश दिए हैं । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर किया जाना चाहिए नाकि तकनीकि आधारों पर प्रकरण निरस्त किया जाना चाहिए । अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर निगरानी 936-PBR-15

प्र. क्र. /निगरानी/अध्यक्ष/ /2015/

बृजमोहन पुत्र श्री बृजलाल निवासी गोसपुरा नं–1 ग्वालियर म0प्र0 .....प्रार्थी

बनाम

1. मोतीराम पुत्र श्री छितरिया
2. धर्मपाल पुत्र श्री छितरिया
3. कोमलसिंह स्व0श्री कल्लू
4. राजू पुत्र स्व0श्री कल्लू
5. गब्बर पुत्र स्व0श्री कल्लू
6. प्रहलाद पुत्र स्व0श्री कल्लू
7. श्रीमती जमुनादेवी पत्नी स्व0श्री कल्लू निवासी गण गोसपुरा नं–1 ग्वालियर ...**प्रतिप्रार्थी**
8. श्रीमती विमलादेवी पत्नी श्री अमरसिंह पुत्र श्री बृजलाल निवासी लाइन न–3 बिरलानगर ग्वालियर म0प्र0 ....**फॉरमल प्रतिप्रार्थी**

श्री विवेक श्रीवास्तव एड. द्वारा आज दि. 30-4-15 को प्रस्तुत
30-4-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर तहसीलदार मुरार के प्रकरण कमांक 12/2013–14 अ–3 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2015 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रार्थी की निगरानी की अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक–1 लगायत 7 द्वारा ग्राम दीनारपुर में स्थित सर्वे कमांक 215 मिन के बटांकन कराए जाने बावत् आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । उक्त बटांकन आवेदन पत्र में प्रतिप्रार्थी के रूप में बृजलाल पुत्र स्व0श्री बिहारीलाल के नाम से दावा प्रस्तुत किया जबकि बृजलाल की 20 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी और यह तथ्य प्रतिप्रार्थीगणों की जानकारी मे होते हुये भी इस तथ्य को छुपाते हुये उन्हाने मृतक व्यक्ति के खिलाफ दावा प्रस्तुत किया उक्त प्रकरण में प्रतिप्रार्थी कमांक –8 जो कि मृतक बृजलाल की पुत्री है ने उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की इसी बीच प्रतिप्रार्थी कमांक–1 लगायत 7 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी के तहत मृतक बृजलाल के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया प्रार्थी को कोई सूचना पत्र जारी नही किया और ना ही इस कार्यवाही की कोई जानकारी थी आदेश 6 नियम 17 का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थी को इस समस्त कार्यवाहियों की जानकारी हुई इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी कमांक–1 लगायत 7 द्वारा प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के

Srivastava 30/4/15